बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

–:: अधिसूचना ::–

संख्या–1/ए0–1–101/2024......708 पटना, दिनांक....09.09.2026

बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–04 लो0से0आ0/गो0, दिनांक–13.08.2025 द्वारा दिनांक–07.08.2025 को प्रकाशित परीक्षाफल के आधार पर विज्ञापन सं0–33/2024 के विरूद्ध 05 उम्मीदवारों की कोटिवार अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी। विभागीय अधिसूचना सं0–651–सह–पठित ज्ञापांक–652, दिनांक–09.09.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन सं0–33/2024 के अंतर्गत सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार अभियंत्रण सेवा–II में सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर कुल–05 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से नियुक्त किया गया।

2. तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–715, दिनांक–04.10.2025 द्वारा नव नियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) को दिनांक–06.10.2025 से 05.12.2025 तक निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण में दिनांक–05.10.2025 के अपराह्न में बिपार्ड, गया जी परिसर में योगदान देने का निदेश दिया गया। जिसके आलोक में 04 (चार) सहायक अभियंता (यांत्रिक) द्वारा प्रशिक्षण हेतु बिपार्ड, गया में योगदान किया गया एवं शेष निम्नलिखित 01 (एक) सहायक अभियंता (यांत्रिक) के द्वारा बिपार्ड, गया/विभाग में योगदान समर्पित नहीं किया गया :–

क्र0 सं0	अनुक्रमांक/ मेधा क्रमांक	सहायक अभियंता (यांत्रिक) का नाम एवं पिता का नाम	स्थाई पता
1	2	3	4
1	200794/ 50	श्री गणेश कुमार पिता–श्री अखिलेश्वर सिंह	श्री गणेश कुमार, पिता–श्री अखिलेश्वर सिंह, मोहल्ला–सिद्धार्थपुरी, कॉलोनी रोड–01, पो0–बुनियादगंज, थाना–मुफ्फसिल, मानपुर, जिला–गया जी, पिन–823003

3. श्री गणेश कुमार का ई–मेल से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक–08.10.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि स्वयं के चिकित्सा कारणों से कम से कम 04 माह के अवधि विस्तार करने का अनुरोध किया गया है। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–136, दिनांक–05.03.2026 द्वारा श्री कुमार को 30 दिनों के अन्दर विभाग में योगदान करने का निदेश दिया गया। उक्त पत्र को निबंधित डाक से भेजा गया, जो विभाग में बिना तामिला वापस प्राप्त हो गया। ई–मेल के माध्यम से भी श्री कुमार को पत्र को भेजा गया है। परंतु उनके द्वारा विभाग में योगदान नहीं किया गया है न ही कोई सूचना विभाग में समर्पित किया गया।

4. तत्पश्चात पुनः पत्रांक–261, दिनांक–07.05.2026 द्वारा श्री कुमार द्वारा 30 दिनों के अन्दर विभाग में योगदान करने का निदेश दिया गया। जिसमें उन्हें संसूचित किया गया कि निर्धारित अवधि में योगदान नहीं किये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द किये जाने के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। तदोपरांत भी श्री कुमार द्वारा विभाग में न तो योगदान किया गया है और न ही इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध कराया गया।

5. श्री कुमार द्वारा योगदान हेतु अवधि विस्तार किये जाने का अनुरोध की अवधि समाप्त होने के उपरांत नैसर्गिक न्याय के तहत विभाग में योगदान हेतु मौका दिए जाने के बावजूद भी श्री कुमार द्वारा निर्धारित तिथि तक अपना योगदान समर्पित नहीं किया गया।

6. अतः सम्यक विचारोपरांत नियुक्ति हेतु निर्गत अधिसूचना के उपरांत विभाग में योगदान नहीं करने वाले उक्त 01 (एक) नव नियुक्त सहायक अभियंता (यांत्रिक) यथा–श्री गणेश कुमार (अनुक्रमांक–200794) की नियुक्ति संबंधी दावा/अभ्यर्थित्व को अधिसूचना निर्गत की तिथि से निरस्त/रद्द किया जाता है।

7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

8/9/25

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक–1/ए0–1–101/2024–709 पटना, दिनांक–09.09.2025

प्रतिलिपि–दो अतिरिक्त प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

8/9/25

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक–1/ए0–1–101/2024–709 पटना, दिनांक–09.09.2025

प्रतिलिपि– अवर सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ हेतु अग्रसारित।

अनु0–यथोपरि।

8/9/25

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक–1/ए0–1–101/2024–709 पटना, दिनांक–09.09.2025

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/पुलिस महानिदेशक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/9/25

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक–1/ए0–1–101/2024–709 पटना, दिनांक–09.09.2025

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–04 लो0से0आ0/गो0, दिनांक–13.08.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/9/25

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक–1/ए0–1–101/2024–709 पटना, दिनांक– 09.09.2026

प्रतिलिपिः--विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/अपर सचिव/निदेशक, प्रांजल/सभी मुख्य अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक/ यांत्रिक)/सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी कंट्रोल रूम/विभागीय आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/विभागीय डाक पटल, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/श्री गणेश कुमार, पिता–श्री अखिलेश्वर सिंह, मोहल्ला–सिद्धार्थपुरी, कॉलोनी रोड–01, पो0–बुनियादगंज, मानपुर, जिला–गया जी, पिन–823003 (E-mail-ganeshkrsingh750@gmail.com) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/9

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक–1/ए0–1–101/2024–709 पटना, दिनांक– 09.09.2026

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

8/9

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)

08-9-26